

राजस्थान लोक अदालत कैम्प कोर्ट 2018

तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत देरवाला
प्रकरण संख्या 100/2016

उनवान

वालुराम बनाम मांगूराम वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा
151 सी पी सी

राजस्थान लोक अदालत
कैम्प कोर्ट मुकाम
अक्टूबर-2018

19/06/2018

यह पत्रावली राजस्थान लोक अदालत ग्राम पंचायत देरवाला में पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 27.10.2016 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। उक्त आदेश को ता: फैसला दावा तक बढ़ाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों के मध्यनजर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता: फैसला दावा तक पाबंद किया जाता है। कि व प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

झुंझुनू (सज.)